

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-अधिसूचना:-

संचिका संख्या:-6/अ0-03-22/2020

पटना, दिनांक-

श्री पंकज कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), विशेष अंचल, पटना को वित्त विभाग के पत्रांक-2498, वि0 (2), दिनांक-12.04.2007 एवं पत्रांक-9889/वि0, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में उनकी द्वितीय संतान के लिए दिनांक-16.12.2024 से 30.12.2024 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों का पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-22/2020

196

पटना, दिनांक- 15/01/25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), विशेष अंचल, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री पंकज कुमार, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), विशेष अंचल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/01/2025

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।